न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़

सुरज्ञा बनाम सरकार

मु. नं. 29/2020

18/12/2020 पत्रावली पेश हुई वकील वादी वकील श्री संदीप शर्मा उपस्थित। अ. पक्ष आदेश 1 नियम 10 CPC पर दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनी। श्री संदीप शर्मा एड. ने दस्तावेज प्रकरण से दस्तावेज विचाराधीन प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा जो दिया गया। पत्रावली वास्ते आदेश R 10 CPC हेतु कार्यवाही पत्र। 1-1-2021 को पेश हो। Sd/-

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर

1-1-2021 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित श्री संदीप शर्मा ने दस्तावेज सूची मिजवाई जो शामिल मिसल है। पत्रावली प्रक्रियाधीन वास्ते आदेश कार्यवाही 8/1/2021 को पेश हो Sd/-

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर

8/1/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री रमाशंकर शर्मा उपस्थित, प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 अन्तर्गत धारा 151 CPC पर दिनांक 18/12/2020 को हुई बहस का निर्णय सुनाया गया, निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया। दावा घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act की अन्तिम बहस वकील वादी की सुनी गई। वास्ते आदेश डिक्री हेतु दिनांक 11-1-2021 को पेश हो। Sd/-

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर

11-1-2021 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० वादी का दावा घोषणा खातेदारी अधिकार अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act डिक्री किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Sd/-

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर 29 / 2020

कृष्णा पुत्री परसा वगै.

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ

प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीस

निर्णय

दिनांक 08/01/2021

यह है कि न्यायालय हाजा मे कृष्णा पुत्री परसा वगै. बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ दावा घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट. विचाराधीन है जिसमें वादीगण अपने नाम चली आ रही खसरा नम्बर 571 / 6 रकबा 0.3541हैक्टेयर गैर खातेदारी भूमि जो कि ग्राम गठवाडी में स्थित है के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये न्यायालय में जरिये अधिवक्ता चारा जोही कर रहे है। प्रकरण में दिनांक 24.7.2020 अधिवक्ता श्री सन्दीप शर्मा ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रार्थीगण किशना पुत्र मांगूराम व अन्य कि तरफ से पेश किया, साथ मे ही प्रार्थीगणो की तरफ से वकालतनामा भी पेश कर न्यायालय हाजा से निवेदन किया कि, इस प्रकरण में मेरे प्रार्थीगणो के अधिकार निहित है तथा मुझे व मेरे प्रार्थीगणों को सुने बिना निर्णय करना न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त की अवेहलना होगी एवं मेरे प्रार्थीगण के अधिकारो पर कुठाराघत होगा। दिनांक 24.7.2020 को ही वादी वकील श्री रमांशकर शर्मा को प्रार्थना पत्र की नकल उपलब्ध कराई गई एवं जवाब के लिये समय दिया गया। वादी वकील ने जवाब न देकर सीधी ही प्रार्थना पत्र पर बहस करने का न्यायालय हाजा से निवेदन किया। दिनांक 18.12.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पर प्रार्थी वकील श्री सन्दीप शर्मा व अप्रार्थी वकील श्री रमांशकर शर्मा की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील श्री सन्दीप शर्मा ने बताया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 571/6 शुरू से ही हमारे कब्जे काश्त में रही है, प्रार्थीगण के दादा–परदादा इस पर काश्त करते आ रहे है व वर्तमान में भी मेरे प्रार्थीगण काबिज काश्त है। कब्जे काश्त के साक्ष्य रूप में प्रार्थी वकील श्री संदीप शर्मा नें सम्वत 2014 से संवत 2030 तक की खसरा परिवर्तनशील रिपोर्ट पी–14 पेश की है, जिसमें प्रार्थी के दादा–परदादा द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 571 /6 पर काश्त की गई है। एवं प्रार्थी वकील श्री संदीप शर्मा नें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में उनवान परसा राम बनाम जगदीश वगै. की नकल पेश की, जिसमें परसा राम जो कि वादीगण के पिता रहे है ने हम प्रार्थीगण के खिलाफ उक्त विवादित जमीन से हम प्रार्थीगण को बेदखल करने के लिए न्यायालय हाजा में पेश किया था। प्रार्थी वकील श्री संदीप शर्मा ने दिनांक 24.07.2020 को पेश की गई तहसीलदार रिपोर्ट का हवाला भी दिया जिसमें विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद है। अतः न्यायालय हाजा से गुजारिश है कि प्रार्थीगण किशना वगैरह की तरफ से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 अंतर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर, प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जावे ताकि हमारे हितो का कुठाराघात न हो एवं न्याय के सिद्वान्त की पालना हो सके।

प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पर वादीगण कृष्णा वगैराह के वकील श्री रमांशकर शर्मा की बहस सुनी गई। वकील श्री रमाशंकर ने

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ, जयपुर

Scanned with CamScanner

बताया कि उक्त भूमि मेरे पक्षकार कृष्णा वगै0 के दादा/पिता/पति परसा पुत्र ईशरा कोम रैगर को राजस्थान सरकार द्वारा गठित आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 27.10.1977 को आवंटित हुई थी। हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा दिया गया था, तब से हम लगातार काबिज होकर काश्त कर रहे है। वकील श्री रमाशंकर शर्मा ने बताया कि प्रार्थीगण श्री किशना, परागा व राधेश्याम का हमारी जमीन से कोई लेना देना नहीं है। एवं इनका हमारी जमीन में कोई विधिक अधिकार निहित नहीं है। प्रार्थीगण श्री किशना वगैरह लठैत एवं झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो कानून की जानबूझकर अवहैलना करते है। इनकी नियत खराब है व हमारी जमीन को हडपने की कोशिश करते है। वकील श्री रमाशंकर शर्मा ने खसरा परिवर्तनशील रिपोर्ट पी–14 सम्वत 2014 से 2030 के संबंध में बताया कि हमारे आवंटन से पहले की रिपोर्ट है, इससे हमे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो सभी भूमियो पर कोई न कोई काश्त करते रहे है। हमारे आवंटन होने के पश्चात उक्त जमीन पर हम ही काबिज है व काश्त कर रहे है। न्यायालय हाजा में विचाराधीन रहे वाद परसाराम बनाम जगदीश वगै0 के संबंध में श्री रमाशंकर शर्मा एडवोकेट ने बताया कि उक्त समय मेरे पक्षकारो के पिता/पति/दादा श्री परसाराम को जगदीश वगैराह ने परेशान किया था व हमारी जमीन को हडपने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ श्री परसाराम ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट न्यायालय मे पेश किया था। हमने कानून संगत कार्यवाही कर हमारी जमीन को बचाया था, इसमे कानूनन कोई त्रुटि नहीं की थी। वकील श्री रमाशंकर ने बताया कि हमने आवंटन के पश्चात नियमों का पूरा पालन किया है। अगर हम आवंटन नियमों की पालना नहीं करते तो तहसीलदार महोदय द्वारा अब तक हमारे खिलाफ आवंटन नियमो की धारा 14 (4) के तहत भूमि आवंटन खारिज की प्रकिया कर दी जाती, लेकिन हमारे खिलाफ आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है, क्योकि हम आवंटन नियमों की पालना कर कानूनन काबिज काश्त है। वकील श्री रमाशंकर ने बताया कि मेरे पक्षकार गरीब व कमजोर व्यक्ति है उनको अब तक केवल इसीलिये गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार नहीं मिले हैं। क्योकि किशना, जगदीश, वगैरह जैसे लोग बिना विधिक अधिकार हमे परेशान करते रहे है। आरटी एक्ट 1955 मे विभिन्न धाराओ मे स्पष्ट उल्लेख है कि कमजोर वर्ग के लोगो के खातेदारी अधिकरो को सुनिश्चित किया जावें। हम कमजोर वर्ग एस.सी. से belong करते है। अतः यह न्यायालय हाजा का वैधानिक दायित्व है कि हमारे अधिकारो की सुरक्षा करे। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को खारिज कर हमे खातेदारी अधिकार घोषित कर हमारा दावा डिक्री करें।

हमने उभय पक्षो की बहस पर मनन किया, प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 के संबंध में वकील श्री संदीप शर्मा द्वारा प्रस्तुत विभिन्न नजीरो का अध्ययन किया। बहस पर मनन व नजीरो के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि प्रार्थीगण श्री किशना वगैरह का इस विवादित भूमि में कोई विधिक अधिकार निहित नहीं हैं, इनके द्वारा बिना कानून के वादीगण कृष्णा वगैरह जो कि एस.सी केटेगिरी से belong करते हैं, के विधिक अधिकारो का हनन किया जा रहा है। अतः प्रार्थीगण श्री किशना वगैरह द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज (निरस्त) किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
फास्ट ट्रैक जमवारामगढ

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),

जमवारामगढ बहुजलास श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
29 / 2020	17 / 02 / 2020	11 / 01 / 2021

–उनवान–

1. कृष्णा पुत्री परसा
2. बिदामी पुत्री परसा
3. सुरेश पुत्र परसा
4. गीतादेवी पत्नि सत्यनारायण पुत्रवधु परसा
5. माया कुमारी पुत्री सत्यनारायण पौत्री परसा
6. नरेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण पौत्र परसा
7. दशरथ कुमार पुत्र सत्यनारायण पौत्र परसा
8. लिछमा पत्नि गिरधारी पुत्रवधु परसा
9. संजय कुमार पुत्र गिरधारी पौत्र परसा

समस्त आयु वयस्क समस्त जातियान रैगर निवासी ग्राम गठवाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।

.....**वादीगण**

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

.....**प्रतिवादी**

उपस्थित अभिभाषक

रमाशंकर शर्मा– वादीगण

पेरोकार सरकार– प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी

–: निर्णय :–

वादीगण ने यह वादपत्र घोषणा खातेदारी विरूद्ध प्रतिवादी के इस कथन के साथ पेश किया कि कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 571/6 रकबा 0.3541 हैक्टेयर ग्राम गठवाडी पटवार हल्का गठवाडी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित हैं जो कि आगे वादग्रस्त आराजियात से सम्बोधित हैं।वादग्रस्त आराजियात वादीगण के पिता/दादा/ससुर की विरासत आराजियात हैं , जो कि वादीगण के पिता/दादा/ससुर के फोत होने के उपरान्त विरासत के तहत वादी सं. 1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी सं. 4 लगायत 9 के पिता/पति सत्यनारायण एवं गिरधारी के हित में नामान्तकरण तसदीक कर वादीगण का राजस्व इन्द्राज अमल दरामद किया गया हैं। वादीगण के पिता/दादा/ससुर परसा जाति रैगर साकिन देह गठवाडी अनुसार

Scanned with CamScanner

वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व कई वर्षो से बतौर गैर खातेदार चला आया हैं, जिसके अनुसार ही अपने जीवन काल तक वादीगण के पिता/दादा/ससुर भूमि वादग्रस्त पर वादीगण सहित विधिक काबिज काश्त रहे तथा उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण विधिक काबिज काश्तकार हैं । लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे अभी भी खाता मिल्कियत गैरखातेदार गलत दर्ज हैं।वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में गैर खातेदारी अंकित होने के उपरान्त नियमानुसार खातेदारी अंकित करने की कार्यवाही करने व राजस्व इन्द्राज करने का दायित्व प्रतिवादी सं. 1 का रहा हैं, जो कि अबतक खातेदारी अंकित नहीं करना राजस्व विभाग की भूल व चूक चली आ रही हैं। प्रतिवादी सं. 1 ने वादग्रस्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी की कार्यवाही व राजस्व इन्द्राज नहीं करने की भारी भूल व चूक किया हैं, जबकि विधिक न्यायिक प्रावधानों अनुसार वादग्रस्त भूमि अर्से दराज पूर्व ही खातदोरी में अंकित हो जानी जाहिए थी। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 की भूल व चूक के कारण वादीगण के विधिक खातेदारी प्राप्त करने के हक अधिकारों पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता, बल्कि वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध अपने वैधानिक खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी हैं। वादीगण अपनी हक हकूक वादग्रस्त आराजियात पर अपने पिता/दादा/ससुर के जीवनकाल तक उनके साथ रहते हुए एवं उनकी मृत्यु उपरान्त बतौर गैर खातेदार स्वयं काबिज काश्त हैं, जिसके अनुसार ही राजस्व इन्द्राज चला आ रहा हैं।वादग्रस्त भूमि में वादीगण अपने हक पूर्वज के जीवन काल से लेकर अब तक वैधानिक हक अधिकार के तहत निरन्तर काबिज रहते हुए आ रहे हैं, तथा समय समय पर वादीगण के हक पूर्वज एवं उनके बाद वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में अपने हित उपयोगार्थ काश्त करते आये हैं, जिसके वादीगण अधिकारी हैं। भू–राजस्व अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हक अधिकार मालिकाना व हक खातेदारी आंवटन बाद गैरखातेदारी इन्द्राज पूर्वतक बहाल हो चुका हैं तथा वादीगण कानूनन उक्त भूमि वादग्रस्त के हक खातेदार काश्तकार अब से पूर्वतक हो चुके हैं, लेकिन वादीगण के हित में अब से पूर्वतक खातेदारी इन्द्राज नहीं कर प्रतिवादी सं. 1 ने भारी भूल व चूक किया हैं, जो कि वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा जरिये अदालत कराने के विधिक अधिकारी हैं।विवादित आराजी पर वादीगण अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है, जिसके अनुसार खातेदारी घोषित कराने के वादीगण अधिकारी हैं।वादग्रस्त भूमि के काबिज काश्तकार एवं राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी के लम्बे समय से वैधानिक इन्द्राज व हक कब्जे काश्त के बावजूद प्रतिवादी सं. 1 ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अंकित नहीं किया , जो कि वादीगण अपने खातेदारी अधिकार घोषित कराने के अधिकारी हैं।कानूनी प्रावधानों के तहत वादग्रस्त भूमि की समयावधि बाबत् खातेदारी इन्द्राज अब से पूर्वतक पूर्ण हो चुकी हैं, जो कि विधिक प्रावधानों अनुसार वादीगण हक खातेदार की विधिक

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़, जयपुर

Scanned with CamScanner

हैसियत रखते हैं। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण को गैर खातेदारी से खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित व विधि सम्मत हैं, जिसके वादीगण विधिक अधिकारी हैं।वादीगण के हक में अंकित गैर खातेदारी भूमि वादग्रस्त के सम्बन्ध में गैर खातेदारी से खातेदारी इन्द्राज करने हेतू वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को को आवेदन पेश किया . लेकिन प्रतिवादी सं. 1 के अधिनस्थ पटवारी हल्का ने अपने निजि स्वार्थ में लिप्त रहते हुए वादीगण के हित में गैर खातेदारी से खातेदारी इन्द्राज करने से साफ ही इन्कार कर दिया तथा दिनांक 27-01-2020 को प्रतिवादी सं. 1 ने भी वादीगण के हित में खातेदारी की कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया. जिससे वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोष्णार्थ दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन हैं कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी घोषणा डिक्री किया जावे कि भूमि वादग्रस्त ग्राम गठवाडी में स्थित हाल खसरा नम्बर 571/6 रकबा 0.3541 हैक्टेयर पर वादीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वादपत्र वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 28-02-2020 को प्रतिवादी कि तलबी कि गई । पत्रावली इन्तजार जवाब तहसीलदार हेतू दिनांक 05/03/2020 को पेश हुई । दिनांक 24/07/2020 को प्रतिवादी सं. 1 कि ओर से जवाब वादपत्र मय दस्तावेजात पेश किया कि वादपत्र का मद सं. 1 सही एवं स्वीकार हैं ग्राम गठवाडी के हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी की खाता सं. 466 खसरा नम्बर 571/6 रकबा 0.3541 हैक्टेयर कृष्णा, बिदामी पुत्री परसा हि0 2/5 गिरधारी , सुरेश सत्यनारायण पि0 परसा हि0 3/5 जाति रैगर सा0देह गैरखातेदार दर्ज हैं। वादपत्र का मद सं. 2 सही एवं स्वीकार हैं। वादीगण के पिता/दादा/ससुर की विरासती आराजियात है जो हाल रिकॉर्ड अनुसार ग्राम गठवाडी की जमाबन्दी खाता संख्या 466 खसरा नम्बर 571/6 रकबा 0.3541 हैक्टेयर कृष्णा , बिदामी पुत्रियान परसा हि0 2/5 गिरधारी , सुरेश , सत्यनारायण पुत्रान परसा हि0 3/5 जाति रैगर सा0देह की गैरखातेदारी भूमि हैं। वादपत्र की मद सं. 3 आंशिक स्वीकार हैं। उक्त आराजी खसरा नम्बर 571/6 ग्राम गठवाडी के हाल रिकॉर्ड अनुसार कृष्णा , बिदामी पुत्रियान परसा हि0 2/3 गिरधारी , सुरेश सत्यनारायण पि0 परसा हि0 3/5 जाति रैगर सा0देह गैरखातेदार दर्ज हैं। वादपत्र की मद संख्या 4 लगायत 16 के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि मौके पर वादीगण का कब्जा ना होकर दीगर व्यक्ति का कब्जा काश्त हैं तथा मौके पर कब्जे को लेकर विवाद हैं। शेष प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। मुताबिक वादपत्र बिन्दूवार रिपोर्ट श्रीमान को आवश्यक कार्यवाही एवं खातेदारी हेतू पेश हैं।

यह कि कृष्णा पुत्री परसा वगै. बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ दावा घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट.विचाराधीन है

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with CamScanner

जिसमें वादीगण अपने नाम चली आ रही खसरा नम्बर 571 / 6 रकबा 0.3541हैक्टेयर गैर खातेदारी भूमि जो कि ग्राम गठवाडी में स्थित है के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये न्यायालय में जरिये अधिवक्ता चारा जोही कर रहे है। प्रकरण में दिनांक 24.7.2020 अधिवक्ता श्री सन्दीप शर्मा ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रार्थीगण किशना पुत्र मांगूराम व अन्य कि तरफ से पेश किया, साथ मे ही प्रार्थीगणो की तरफ से वकालतनामा भी पेश कर न्यायालय हाजा से निवेदन किया कि, इस प्रकरण में मेरे प्रार्थीगणो के अधिकार निहित है तथा मुझे व मेरे प्रार्थीगणों को सुने बिना निर्णय करना न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त की अवेहलना होगी एवं मेरे प्रार्थीगण के अधिकारो पर कुठाराघत होगा। दिनांक 24.7.2020 को ही वादी वकील श्री रमांशकर शर्मा को प्रार्थना पत्र की नकल उपलब्ध कराई गई एवं जवाब के लिये समय दिया गया। वादी वकील ने जवाब न देकर सीधी ही प्रार्थना पत्र पर बहस करने का न्यायालय हाजा से निवेदन किया। दिनांक 18.12.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पर प्रार्थी वकील श्री सन्दीप शर्मा व अप्रार्थी वकील श्री रमांशकर शर्मा की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील श्री सन्दीप शर्मा ने बताया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 571/6 शुरू से ही हमारे कब्जे काश्त में रही है, प्रार्थीगण के दादा–परदादा इस पर काश्त करते आ रहे है व वर्तमान में भी मेरे प्रार्थीगण काबिज काश्त है। कब्जे काश्त के साक्ष्य रूप में प्रार्थी वकील श्री संदीप शर्मा नें सम्वत 2014 से संवत 2030 तक की खसरा परिवर्तनशील रिपोर्ट पी–14 पेश की है, जिसमें प्रार्थी के दादा–परदादा द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 571 /6 पर काश्त की गई है। एवं प्रार्थी वकील श्री संदीप शर्मा नें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में उनवान परसा राम बनाम जगदीश वगै. की नकल पेश की, जिसमें परसा राम जो कि वादीगण के पिता रहे है ने हम प्रार्थीगण के खिलाफ उक्त विवादित जमीन से हम प्रार्थीगण को बेदखल करने के लिए न्यायालय हाजा में पेश किया था। प्रार्थी वकील श्री संदीप शर्मा ने दिनांक 24.07.2020 को पेश की गई तहसीलदार रिपोर्ट का हवाला भी दिया जिसमें विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद है। अतः न्यायालय हाजा से गुजारिश है कि प्रार्थीगण किशना वगैरह की तरफ से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 अंतर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर, प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जावे ताकि हमारे हितो का कुठाराघात न हो एवं न्याय के सिद्वान्त की पालना हो सके।

प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पर वादीगण कृष्णा वगैराह के वकील श्री रमांशकर शर्मा की बहस सुनी गई। वकील श्री रमाशंकर ने बताया कि उक्त भूमि मेरे पक्षकार कृष्णा वगै0 के दादा/पिता/पति परसा पुत्र ईशरा कोम रैगर को राजस्थान सरकार द्वारा गठित आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 27.10.1977 को आवंटित हुई थी। हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा दिया गया था, तब से हम लगातार काबिज होकर काश्त कर रहे है। वकील श्री रमाशंकर शर्मा ने बताया कि

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण श्री किशना, परागा व राधेश्याम का हमारी जमीन से कोई लेना देना नहीं है। एवं इनका हमारी जमीन में कोई विधिक अधिकार निहित नहीं है। प्रार्थीगण श्री किशना वगैरह लठैत एवं झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो कानून की जानबूझकर अवहैलना करते है। इनकी नियत खराब है व हमारी जमीन को हडपने की कोशिश करते है। वकील श्री रमाशंकर शर्मा ने खसरा परिवर्तनशील रिपोर्ट पी–14 सम्वत 2014 से 2030 के संबंध में बताया कि हमारे आवंटन से पहले की रिपोर्ट है, इससे हमे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो सभी भूमियो पर कोई न कोई काश्त करते रहे है। हमारे आवंटन होने के पश्चात उक्त जमीन पर हम ही काबिज है व काश्त कर रहे है। न्यायालय हाजा में विचाराधीन रहे वाद परसाराम बनाम जगदीश वगै0 के संबंध में श्री रमाशंकर शर्मा एडवोकेट ने बताया कि उक्त समय मेरे पक्षकारो के पिता/पति/दादा श्री परसाराम को जगदीश वगैराह ने परेशान किया था व हमारी जमीन को हडपने की कौशिश की थी, उनके खिलाफ श्री परसाराम ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट न्यायालय मे पेश किया था। हमने कानून संगत कार्यवाही कर हमारी जमीन को बचाया था, इसमे कानूनन कोई त्रुटि नहीं की थी। वकील श्री रमाशंकर ने बताया कि हमने आवंटन के पश्चात नियमों का पूरा पालन किया है। अगर हम आवंटन नियमों की पालना नहीं करते तो तहसीलदार महोदय द्वारा अब तक हमारे खिलाफ आवंटन नियमो की धारा 14 (4) के तहत भूमि आवंटन खारिज की प्रकिया कर दी जाती, लेकिन हमारे खिलाफ आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है, क्योकि हम आवंटन नियमों की पालना कर कानूनन काबिज काश्त है। वकील श्री रमाशंकर ने बताया कि मेरे पक्षकार गरीब व कमजोर व्यक्ति है उनको अब तक केवल इसीलिये गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार नहीं मिले हैं। क्योकि किशना, जगदीश, वगैरह जैसे लोग बिना विधिक अधिकार हमे परेशान करते रहे है। आरटी एक्ट 1955 मे विभिन्न धाराओ मे स्पष्ट उल्लेख है कि कमजोर वर्ग के लोगो के खातेदारी अधिकरो को सुनिश्चित किया जावें। हम कमजोर वर्ग एस.सी. से belong करते है। अतः यह न्यायालय हाजा का वैधानिक दायित्व है कि हमारे अधिकारो की सुरक्षा करे। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को खारिज कर हमे खातेदारी अधिकार घोषित कर हमारा दावा डिकी करें।

हमने उभय पक्षो की बहस पर मनन किया, प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 के संबंध में वकील श्री संदीप शर्मा द्वारा प्रस्तुत विभिन्न नजीरो का अध्ययन किया। बहस पर मनन व नजीरो के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि प्रार्थीगण श्री किशना वगैरह का इस विवादित भूमि में कोई विधिक अधिकार निहित नहीं हैं, इनके द्वारा बिना कानून के वादीगण कृष्णा वगैरह जो कि एस.सी केटेगिरी से belong करते हैं, के विधिक अधिकारो का हनन किया जा रहा है। अतः प्रार्थीगण श्री किशना वगैरह द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज (निरस्त) किया जाता हैं। साक्ष्य में वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी खसरा नम्बर 571/6 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र गिरधारी रैगर का एवं नकल नामान्तकरण संख्या 143 कि प्रमाणित प्रति दिनांक 08/01/2021 को पेश कि एवं प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने अपने जवाब के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं. 466 कि प्रमाणित प्रति सम्वत 2071 से 2074 कि प्रमाणित प्रति पेश किये है।

बहस वादीगण सुनी गई बहस में वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित आराजियात की ताईद कि कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 571/6 रकबा 0.3541 हैक्टेयर ग्राम गठवाडी पटवार हल्का गठवाडी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित है जो

Scanned with CamScanner

कि आगे वादग्रस्त आराजियात से सम्बोधित हैं। वादग्रस्त आराजियात वादीगण के पिता/दादा/ससुर की विरासत आराजियात हैं , जो कि वादीगण के पिता/दादा/ससुर के फोत होने के उपरान्त विरासत के तहत वादी सं. 1 लगायत 3 एवं प्रतिवादी सं. 4 लगायत 9 के पिता/पति सत्यनारायण एवं गिरधारी के हित में नामान्तकरण तसदीक कर वादीगण का राजस्व इन्द्राज अमल दरामद किया गया हैं। वादीगण के पिता/दादा/ससुर परसा जाति रैगर साकिन देह गठवाडी अनुसार वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व कई वर्षो से बतौर गैर खातेदार चला आया हैं, जिसके अनुसार ही अपने जीवन काल तक वादीगण के पिता/दादा/ससुर भूमि वादग्रस्त पर वादीगण सहित विधिक काबिज काश्त रहे तथा उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण विधिक काबिज काश्तकार हैं । लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे अभी भी खाता मिल्कियत गैरखातेदार गलत दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में गैर खातेदारी अंकित होने के उपरान्त नियमानुसार खातेदारी अंकित करने की कार्यवाही करने व राजस्व इन्द्राज करने का दायित्व प्रतिवादी सं. 1 का रहा हैं, जो कि अबतक खातेदारी अंकित नहीं करना राजस्व विभाग की भूल व चूक चली आ रही हैं। प्रतिवादी सं. 1 ने वादग्रस्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी की कार्यवाही व राजस्व इन्द्राज नहीं करने की भारी भूल व चूक किया हैं, जबकि विधिक न्यायिक प्रावधानों अनुसार वादग्रस्त भूमि अर्से दराज पूर्व ही खातदेारी में अंकित हो जानी जाहिए थी। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 की भूल व चूक के कारण वादीगण के विधिक खातेदारी प्राप्त करने के हक अधिकारों पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता, बल्कि वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध अपने वैधानिक खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी हैं। वादीगण अपनी हक हकूक वादग्रस्त आराजियात पर अपने पिता/दादा/ससुर के जीवनकाल तक उनके साथ रहते हुए एवं उनकी मृत्यु उपरान्त बतौर गैर खातेदार स्वयं काबिज काश्त हैं, जिसके अनुसार ही राजस्व इन्द्राज चला आ रहा हैं। वादग्रस्त भूमि में वादीगण अपने हक पूर्वज के जीवन काल से लेकर अब तक वैधानिक हक अधिकार के तहत निरन्तर काबिज रहते हुए आ रहे हैं, तथा समय समय पर वादीगण के हक पूर्वज एवं उनके बाद वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में अपने हित उपयोगार्थ काश्त करते आये हैं, जिसके वादीगण अधिकारी हैं। भू–राजस्व अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हक अधिकार मालिकाना व हक खातेदारी आंवटन बाद गैरखातेदारी इन्द्राज पूर्वतक बहाल हो चुका हैं तथा वादीगण कानूनन उक्त भूमि वादग्रस्त के हक खातेदार काश्तकार अब से पूर्वतक हो चुके हैं, लेकिन वादीगण के हित में अब से पूर्वतक खातेदारी इन्द्राज नहीं कर प्रतिवादी सं. 1 ने भारी भूल व चूक किया हैं, जो कि वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा जरिये अदालत कराने के विधिक अधिकारी हैं। विवादित आराजी पर वादीगण अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है, जिसके अनुसार खातेदारी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with CamScanner

घोषित कराने के वादीगण अधिकारी हैं। वादग्रस्त भूमि के काबिज काश्तकार एवं राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी के लम्बे समय से वैधानिक इन्द्राज व हक कब्जे काश्त के बावजूद प्रतिवादी सं. 1 ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अंकित नहीं किया . जो कि वादीगण अपने खातेदारी अधिकार घोषित कराने के अधिकारी हैं। कानूनी प्रावधानों के तहत वादग्रस्त भूमि की समयावधि बाबत् खातेदारी इन्द्राज अब से पूर्वतक पूर्ण हो चुकी हैं, जो कि विधिक प्रावधानों अनुसार वादीगण हक खातेदार की विधिक हैसियत रखते हैं। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण को गैर खातेदारी से खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित व विधि सम्मत हैं।वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी घोषणा डिक्री किया जावे कि ग्राम गठवाडी में स्थित वाद ग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 571/6 रकबा 0.3541 हैक्टेयर पर वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण का नामराजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार अमल दरामद किया जावे।

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार जमवारामगढ ने अपनी बहस में बताया कि वाद ग्रस्त आराजी में आवंटन नियमों कि पालना की गई, लेकिन कब्जे को लेकर विवाद है।

हमने वादीगण वकील श्री रमाकांत शर्मा व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं आवंटन नियमो व कमजोर वर्गो को कानून के तहत प्राप्त कानूनी संरक्षणों पर भी मनन किया। हम निष्कर्ष पर पहुचते है कि वादीगण को भूमि आवंटन सन 1977 में हुआ था। तहसीलदार ने आवंटन नियमों की पालना स्वीकार की है।लेकिन कब्जे का विवाद माना है। जबकि तहसीलदार महोदय को वाद ग्रस्त भूमि पर अबतक कमजोर वर्ग ए.सी. के गैर खातेदारों को कब्जे में कानून के अनुसार सहायता कर, खातेदार घोषित कर देना चाहिये था।

अतः वादी का दावा बाबत घोषणा खातेदारी स्वीकार किया जाता है।

कियात्मक आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगणद्वारा प्रस्तुत वादपत्र घोषणा खातेदारी स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम गठवाडी में स्थित वाद ग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 571/6 रकबा 0.3541 हैक्टेयर पर वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण का नामराजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार अमल दरामद किया जावे। इस आशय की डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 11.01.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),

जमवारामगढ बइजलास श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
29 / 2020	17 / 02 / 2020	11 / 01 / 2021

–उनवान–

1. कृष्णा पुत्री परसा
2. बिदामी पुत्री परसा
3. सुरेश पुत्र परसा
4. गीतादेवी पत्नि सत्यनारायण पुत्रवधु परसा
5. माया कुमारी पुत्री सत्यनारायण पौत्री परसा
6. नरेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण पौत्र परसा
7. दशरथ कुमार पुत्र सत्यनारायण पौत्र परसा
8. लिछमा पत्नि गिरधारी पुत्रवधु परसा
9. संजय कुमार पुत्र गिरधारी पौत्र परसा

   समस्त आयु वयस्क समस्त जातियान रैगर निवासी ग्राम गठवाडी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर ।

.....**वादीगण**

बनाम

10. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

.....**प्रतिवादी**

उपस्थित अभिभाषक

रमाशंकर शर्मा – वादीगण

पेरोकार सरकार – प्रतिवादी

वाद घोषणा खातेदारी

मुकदमा नम्बर 29 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री विश्वामित्र मीना आर0 ए0 एस0 व हाजिरी श्री रमाशंकर शर्माएडवोकेट मिनजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है किवाद वादीगण डिक्री स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि वादपत्र में उल्लेखित राजस्व राजस्व ग्राम गठवाडी में स्थित वाद ग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 571 / 6 रकबा 0.3541 हैक्टेयर पर वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण का नामराजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार अमल दरामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावें। इस आशय की डिकी जारी हो।

मैरे दस्तखत एवं मोहर से आज दिनांक 11.01.2021 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with CamScanner

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ

Scanned with CamScanner